



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श10)

(सं0 पटना 484) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०-01-06/2020-4385/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 13, 2020]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत-गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-** (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-3 का संशोधन।-**

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“परन्तु यह और कि सभी दशाओं में दीर्घकालिक व अल्पकालिक काश्तकार कर्मियों (कृषि कर्मियों) की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल कर्मियों की जनसंख्या का पचास प्रतिशत से कम होगी।”

3. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-50 का संशोधन।-**

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में संख्या “2/5” को संख्या “1/3” के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-67 का संशोधन।-**

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 67 के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
“परन्तु यह और कि राज्य सरकार के लिए व्यापक जनहित में ऐसा निदेश जैसा कि वह यथोचित समझे, जारी करना विधि संगत होगा, एवं नगरपालिका प्राधिकारी के लिए ऐसे निदेश का पालन करना अपेक्षित होगा।”

5. **बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-145 का संशोधन।-**

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 145 की उपधारा (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

- (1) कोई भी व्यक्ति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान में या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़ने वाला कोई विज्ञापन लोकदृष्टि में चाहे वह किसी रीति से हो (इसमें सिनेमा के माध्यम से प्रदर्शित कोई विज्ञापन भी शामिल है) प्रदर्शित नहीं करेगा तथा न ही कोई विज्ञापन किसी जमीन, भवन, दिवाल, टट्टी, फ्रेम, छतरी, ढाँचा, गाड़ी, निऑन अथवा आकाशीय चिन्ह के उपर लगायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा और न रखेगा।

परन्तु यह कि लोक सभा निर्वाचन एवं विधान सभा निर्वाचन के क्रम में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित विज्ञापन के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि लोक सभा निर्वाचन एवं विधान सभा निर्वाचन के क्रम में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान की परिधि में ही विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा।

6. **निरसन और व्यावृत्ति।-**

- (1) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या 02, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल०जी०-01-06/2020-4386/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2020 को अनुमत बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 13, 2020]
THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2020
AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR MUNICIPAL ACT, 2007 (ACT 11, 2007)

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy first year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment of Section-3 of Bihar Act 11, 2007.—

- (i) Second proviso of sub section (1) of section 3 of the said Act shall be substituted by following:-
"Provided further that the total population of main cultivator workers and marginal cultivator workers shall be below fifty percent of total population of workers in such area in all cases."

3. Amendment of Section-50 of Bihar Act 11, 2007.—

- (i) In sub-section (1) of section 50 of the said Act the number "2/5" shall be substituted by the number "1/3".

4. Amendment of Section-67 of Bihar Act 11, 2007.—

- (i) After first proviso of section 67 of the said Act the second proviso shall be inserted by following:-
"Provided that it shall be lawful for the State Government in the larger public interest to issue such direction to the Municipal Authorities as may be deemed fit and proper, and the Municipal Authorities will be expected to follow such direction."

5. Amendment of Section-145 of Bihar Act 11, 2007.—

- (i) Sub section (1) of Section 145 of the said Act shall be substituted by following:-
"(1) No person shall not erect, exhibit, fix or retain upon or over any land, building, wall, hoarding, frame post, kiosk, structure, vehicle, neon-sign of sky-sign, any advertisement or display any advertisement to public view in any manner whatsoever (including any advertisement exhibited by means of cinematograph), visible from a public street of public place, in any place within the Municipal area without permission, in writing, of the Chief Municipal Officer.

Provided that during Lok Sabha Elections and Legislative Assembly elections, written permission of the Chief Municipal Officer will not be necessary for the advertisement published for election campaign by political parties and candidates.

Provided further that during Lok Sabha Elections and Legislative Assembly elections, advertisement will be displayed by the Political Parties and candidates under the provisions of Representation of the People Act, 1951.

6. Repeal and Savings.—

- (1) The Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No. 02, 2020) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of any power conferred by, or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act in force on the day on which such thing was done or action taken.

By Order of the Governor of Bihar,
P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 484-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>